न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश विश्नोई–I, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 19 / 2020

| प्रार्थी– | *बनाम* | अप्रार्थी– |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये<br>खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर | | भगवानाराम पुत्र ताराचन्द जाति<br>प्रजापत निवासी बायतु भोपजी<br>जिला बाड़मेर<br>(मैसर्स न्यू महादेव स्वीट होम,<br>बायतु का मालिक) |

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रेम प्रजापत, अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

**आदेश**

दिनांक : 16.09.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी की फर्म मैसर्स न्यु महादेव स्वीट होम, बायतु जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **11.08.2019** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिठाई (गुलाब जामुन)** जो कि एक थाल में करीब 07–08 कि0ग्रा0 रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 किलोग्राम मिठाई (गुलाब जामुन)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1069** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (गुलाब जामुन)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया। विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **मिठाई (गुलाब जामुन)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.09.2019 पेश कर निर्दिष्ट प्रयोगशाला से पुनः जांच कराने का निवेदन किया। इस पर नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया। निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 18.11.2019 में उक्त नमूना **अवमानक (Sub-standard)** होना बताया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी एक् छोटी मिठाई की दुकान चलाकर परिवार का पोषण करता हैं तथा मिठाई स्वंय तैयार नहीं कर अन्य बड़े स्वीट होम से खरीद कर लाता हैं। मिठाई का बना सामाना गर्मी के मौसम में फ्रीज में रखने पड़ते हैं जो दो–तीन नहीं बिकने पर हल्कापन होने से खराब होना शुरू हो जाते हैं तथा अप्रार्थी की फर्म से लिये गये नमूने का तीन–चार दिन बाद जांच करवाई गई, तीन–चार दिन बाद स्वंय ही खराब हो गये हैं इसमें अप्रार्थी की कोई गलती नहीं हैं। अप्रार्थी की दुकान से जो नमूना लिया गया हैं उसकी निर्दिष्ट खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला की जांच में माईनर त्रुटि बताई गई है, अन्य सभी मानकों पर पर खरा एवं उच्च्य श्रेणी का पाया गया हैं। खाद्य प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जो माईनर त्रुटि पाई गई है उसके आधार पर अवमानक होना कोई आपराधिक मामला नहीं बनता हैं तथा परिवादी के विरूद्ध बेबुनियाद व मनगढ़त परिवाद सव्यय खारिज फरमाया जावें।

3. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 में उक्त नमूना असुरक्षित खाद्य का पाया गया है। इस पर अप्रार्थी के निवेदन पर नमूना पुनः जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें अवमानक स्तर का होना बताया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

हैं। यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया, जिस पर उसके अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षण के रूप मे जवाब प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त खाद्य पदार्थ मिठाई वह स्वंय नहीं बनाकर अन्य हलवाईयों से बनवाकर विक्रय करता हैं तथा निर्दिष्ट प्रयोगशाला जांच में नमूना में माईनर त्रुटि बताई गई है जबकि जांच रिपोर्ट अनुसार B.R.R. of extracted fat at 40°C पर मानक स्तर 40–44 के मुकाबले में 53.91 पाया गया है जो कि अत्यन्त की ज्यादा अन्तर पाया गया हैं। इसके अलावा अप्रार्थी ने जवाब में प्रकट किया हैं कि वह स्वंय मिठाई नहीं बनाकर अन्य स्वीट होम अथवा हलवाईयों से तैयार करवाकर विक्रय करता है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख होने का प्रयास किया गया हैं क्योंकि किसी अन्य प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ क्रय करने के बाद अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का हैं। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई ठोस एवं विधिसम्मत जवाब नही है। लिहाजा अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रूपये 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.12.30 17:24:34 IST
Reason: SelfAttested

(ओमप्रकाश विश्नोई–I)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाडमेर